obtain critical spares instead of limiting it to the Trading Houses of Russia.

(iv) Parallel arrangements for procuring future equipment for this project from other sources are also being made as felt necessary.

Pit head price of different grade of coal

1224. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what are the pit-head price of different grades of coal before and after the price hike @ Rs. 70/- per tonne; and

(b) what would be the total cost per tonne of coal at the receiving end ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S.B. NYAMAGOUDA) (a) Before revision of prices of coal effective from 28-12-1991 the average pithead price of coal produced by Coal India Limited was Rs. 249/- per tonne and that of Singareni Collieries Company Limited was Rs. 297/- per tonne. After revision it was enchanced to Rs. 322/- per tonne and Rs. 388/- per tonne respectively.

(b) Coal is sold ex-pithead and the freight is to be borne by the consumer. Freight depends on the distance from the pithead and the mode of transport by which coal is transported. In addition excise duty, royalty and other taxes will add to the cost of coal at the consumer end.

कोयले के लदान में माफिया की गतिविधियां

1225. श्रीमती कमला सिन्हा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित 24 जनवरी, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में "बालू और कोयले की ढुलाई में माफिया फिर हावी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) जी, हां । 28 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स (पटना से प्रकाशित संस्करण) में "बालू और कोयले की ढुलाई में माफिया फिर हावी" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० ने इस समाचार में प्रस्तुत की गई सामग्री को स्वीकार नहीं किया है। इस कोयला कंपनी ने सूचना दी है कि इस समय भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले और रेत के परिवहन में लगे जिला प्रशासन द्वारा 21 सहकारी समितियों को विधिवत रूप में प्रायोजित किया गया है।

जैसा कि उस समाचार में कहा गया है रेत के बारे में अतिशय रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित नहीं है ।अतिशय रिपोर्टिंग को निरस्त करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों जोखिम वाले स्थानों पर तैनात हैं । इसके बाद ट्रकों की रेत के कार्य से संबंधित "मंशियों" द्वारा जांच की जाती है । अंतिम भुगतान किये जाने से पहले भूमिगत माप द्वारा रेत की मात्रा का सामंजस्य किया जाता है ।

रेत परिवहन सहकारी समितियों का पिछले तीन वर्ष का कार्यकलाप उनके लिए निर्धारित लक्ष्य का 35 से 40 प्रतिशत के मध्य रहा । सहकारी समितियों को समझौते के पैरामीटरों के अनुरूप कार्य करने की सभी सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं । सहकारी समितियों तथा निजी संविदाकारों द्वारा लाई गई रेत के माप के बारे में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है ।